Waiting list of phones in Andhra Pradesh

1677. SHRI SATYANARAYANA DRONAMRAJU:
SHRI YERRA NARAYANASWAMY:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of phones on the waiting list, district-wise in Andhra Pradesh to state:

(b) to what extent will be waiting list be cleared in 1996-97; and

(c) whether Government will extend lower rentals for phones in rural areas in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The number of phones on the waiting list District-wise is as per statement (*see* below).

(b) 1.23 lakh new telephone connections are planned for Andhra Pradesh during the year 1996-97.

(c) Yes, Sir. the lower rentals of telecoms for the subscribers in rural areas all over the country including Andhra Pradesh has already been extended from 1.1.1996.

Statement

The number of Phones on the waiting list District-wise in Andhra Pradesh as on June 30, 1996:

Sl. No.	Name of the District	Waiting List
1.	Adilabad	3772
2.	Ananthapur	4247
3.	Chittoor	7559
4.	Cuddapah	3156
5.	East Godavari	13485
6.	Guntur	11576
7.	Karimnagar	7973
8.	Khammam	8514
9.	Krishna	10047
10.	Kurnool	5409
11.	Mahaboobnagar	2547
12.	Medak	2512
13.	Nalgonda	3947
14.	Nellore	9173
15.	Nizamabad	3818
16.	Prakasam	5335
17.	Srikakulam	2222
18.	Visakhapatnam	7501
19.	Vizianagaram	1649
20.	Warangal	4310
21.	West Godavari	15274
22.	Hyderabad & Rangareddy	41353
	TOTAL	175379

महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं

1678. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अत्याचारों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार विशेष महिला अदालतें स्थापित करेगी ताकि उक्त अत्याचारों को रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराध की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना अनुपत्र में दी गयी है। **[देखिए परिशिष्ट 178 अनुपत्र सं॰ 40]**

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, पता लगाने और रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। संबंधित अधिनियमों में विधायी परिवर्तन करने के अलावा, महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश/दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक प्रशासन, राज्य सरकारों/न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार के न्यायालय गठित करना राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों का कार्य है।